

25

पशावली पेशी में ली गई। तहसील पशंका LR/1706
 दिनांक 19.5.25 द्वारा पशावली में मौका Report
 प्राप्त हुई। वादी द्वारा वादपत्र पेश कर मांचित
 किया गया है कि चक 15RP खाला सं. 62/69
 चक 3LR खाला सं. 49/64 चक 2RRW खाला 91/88
 चक 3RRW-A खाला सं. 174/146 में वादी का नाम
 बशीर पुत्र उसमान दर्ज रिकॉर्ड है, जबकि वादी का
 सही नाम बशीर अहमद पुत्र उसमान दर्ज होना
 चाहिए। साक्ष्य के तौर पर आधार कार्ड, राशन
 कार्ड आदि व तहसील रिपोर्ट ग्राम पंचायत की
 पेश की। तहसीलदार इनुमानगढ़ द्वारा वादपत्र में
 अंकित तथ्यों की पुष्टि कर नाम दुरुस्ती की
 जाने की रिपोर्ट पेश की है।

वादी अधिवक्ता को सुना गया। वादपत्र
 स्वीकार कर तहसीलदार को आदेशित किया
 जाता है कि उक्त वर्णित खालों में खाले
 बशीर पुत्र उसमान की जगह बशीर अहमद पुत्र
 उसमान दर्ज रिकॉर्ड कर नाम दुरुस्ती की जाने।
 आदेश सुनाया जाकर पशावली कॉलेज कपलर की
 जाती है।

सहायक
 उपखण्डाधिकारी
 इनुमानगढ़

